

संख्या- 6/बी3-104/16 श्र0सं0-

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

स्पीड पोस्ट

आवंटनादेश

प्रेषक,

मो० सलीम,
श्रम आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली ।

पटना, दिनांक:-

26-4-16

विषय:- आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या- 26-उप शीर्ष-0001-प्रवासी मजदूरों का कल्याण (विपत्र कोड एन 2230011140001) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाराय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष- 2016-17 में 31 जुलाई, 2016 तक व्यय के निमित्त निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

वेतन	जीवन	मकान	परिवहन	चिकित्सा	योग	चिकित्सा	यात्रा	कार्यालय	वाहन का	दूरभाष	व्यावसायिक	कुल
0101	यापन	किराया	भत्ता	भत्ता	वेतन	प्रतिपूर्ति	व्यय	व्यय	ईधन एवं	1303	एवं विशेष	योग
	भत्ता	भत्ता	0105	0106	एवं भत्ते	0601	1101	1301	रख रखाव		सेवाएँ	
	0103	0104							1302		2801	
125000	150000	40000	6000	800	321800	5000	25000	80000	141000	15000	125000	712800

कुल आवंटित राशि ₹ 7,12,800/- (रूपये सात लाख बारह हजार आठ सौ) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0 दिनांक-31.03.16, ज्ञापांक-2793/वि0 दिनांक-04.04.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- योग वेतन एवं भत्ते में आवंटित राशि से वेतन विपत्रों की निकासी की जायेगी ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ विहित प्रपत्र में निकासी के अगले माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
- यह आवंटन गैर योजना मद के स्थायी स्थापना से संबंधित है ।

ज्ञापांक:-6/बी3-104/16-श्र0सं0-

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विश्वामभाजन,

मो० सलीम,

श्रम आयुक्त, बिहार।

पटना
25/4/16

ज्ञापांक:-6/बी3-104/16-श्र0सं0-

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/कोषागार पदाधिकारी, बिहार भवन, नई दिल्ली/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा-02 (सरकार पक्ष)/व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष)/बजट शाखा प्रशाखा-06(श्रम पक्ष) को एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

श्रम आयुक्त, बिहार।

पटना
25/4/16

मो० सलीम,

श्रम आयुक्त, बिहार।